


न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प रीवामुप्रु

RS281-II/16

Rs 30/-



श्यामलाल मिश्रा तनय कमलेश्वर प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम डग्ढौआ
थाना व तहसील मउरांज जिलाराीवामुप्रु _____ आवेदक

बनाम

1. राजेश सिहं पिता श्री इन्द्राज सिहं निवासी डग्ढौआ,
तहसील मउरांज जिलाराीवामुप्रु
2. शासन मुप्रु _____ अनवेदक गण

निगरानी बिहू आदेश तहसीलदार तहसील
मउरांज जिलाराीवामुप्रुके प्रक02अ12/15-16 मे
पारित आदेश दिनांक 27.5.16के बिहू अर्तगत
धारा 50 मुप्रुभूराउसंके अधीन निगरानी

वी.के.ए. द्वारा जमा दिनांक 27.5.16 प्रस्तुत किया गया।
सिडर
सर्किट कोर्ट रीवा

महोदय,

निगरानी के तथ्य :-

यउ कि, प्रकरण का संक्षिप्ततथ्य इस प्रकार हैकि आराजी नं. 930/3 रकवा 105आरे. एवं आराजी नं. 930/3 रकवा 0.028आरे. स्थित ग्राम डग्ढौआ, तहसील मउरांज जिलाराीवामुप्रुमे स्थित भूमि है जिसके भूमिस्वामी आवेदक है। उक्त भूमि का सीमांकन किये जानेहेतु तहसीलदार न्यायालय मे आवेदन फा प्रस्तुत किया गया, तत्पश्चात मौके पर जाकर सीमांकन की कार्यवाही की गयी लेकिन बाद मे अनावेदक क्रमांक 1 के झूठे अभिकथनों के आधार पर

M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R..5281-II/16

जिला-रीवा

श्यामलाल मिश्रा/राजेश सिंह

(1)

(2)

(3)

01.02.17

1. प्रकरण प्रस्तुत।
2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।
3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।
4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।


सदस्य